From -1
(for linear projects)
Government of Uttrakhand
Office of the District collector

No 4695 **Champawat** **Date** 24.06.2019

TO WHOME SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of environment and forests (MoEF) Government of India's letter no 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein moef issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 3.9115 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Gram Vikash Department, Govt. of Uttarakhand** for **Construction of Tanakpur tawaghat M/R (km114) to Sigda Motor Road** in **Champawat** district falls with in jurisdiction of **Sigda** village in **Barakot** Tehsil.

It is further certified that

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 3.9115 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of record of all consultation and meetings of the forest rights committees are enclosed in annexure.

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the grama sabhas have given their consent to it.

(c) The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal groups and pre agricultural communities.

Enclosure: As above.

Signature

District Collector

(रणवीर सिंह चौहान)
जिलाधिकारी
चम्पावत

Scanned with CamScanner

(11)

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT – CHAMPAWAT, UTTARAKHAND

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Champawat district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr Ranvir Singh Chauhan (I.A.S), District Magistrate, Champawat (Uttarakhand) on dated .03-06-19 at time ..10:00 am.at Champawat in which application claiming rights in Sigda Village in Barakot Tehsil, area measuring 3.9115 hect for the construction of Tanakpur-Tawaghat M.R. (Km 114) to Sigda Motor Road Under PMGSY Lohaghat under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of Barakot Tehsil were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

District Magistrate -cum-Chairman
District Level Committee, Champawat

(रणवीर सिह चौहान)
जिलाधिकारी
चम्पावत

Scanned with CamScanner

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम:- जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, टनकपुर–तवाघाट मोटर मार्ग के किमी0 114 से सिगदा मोटर मार्ग नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, बाराकोट
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, बाराकोट

उपखण्ड बाराकोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत टनकपुर तवाघाट मोटर मार्ग से सिगदा मो0 मा0 (3.7015 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.2100 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि .0. 00 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 3.9115 हे0 वन भूमि) का पी0एम0जी0एस0वाई0 लोहाघाट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील बाराकोट) की दिनांक 20.02.2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री आर0सी0 गौतम, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री आर0सी0 गौतम उपजिलाधिकारी ———————— अध्यक्ष
2– श्री मनोहर सिंह सेमिया उप प्रभागीय वनाधिकारी———————— सदस्य
3– श्री मुरलीधर भट्ट —सहायक समाज कल्याण अधिकारी———— सदस्य/सचिव
4– श्री मनोज सिंह —बी0डी0सी0 क्षेत्र ———————— सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि **टनकपुर–तवाघाट मोटर मार्ग के किमी0 114 से सिगदा मोटर मार्ग** परियोजना हेतु 3. 9115.हे0 वनभूमि पी0एम0जी0एस0वाई0 लोहाघाट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनशंसा की गई है।

Scanned with CamScanner

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, लोहाघाट द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड लोहाघाट परिक्षेत्र के अन्तर्गत **टनकपुर–तवाघाट मोटर मार्ग के किमी0 114 से सिगदा मोटर मार्ग** परियोजना के निर्माण हेतु 3.9115 हे0 वन भूमि पी0एम0जी0एस0वाई0 लोहाघाट प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–बाराकोट
जनपद..चम्पावत

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, चम्पावत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–बाराकोट
जनपद..चम्पावत

23-2-19
बाराकोट

सरपंच
वन पंचायत सिंगदा, पीकरी
वि० ख०- बाराकोट (चम्पावत)

वन क्षेत्राधिकारी
काली कुमाऊं
चम्पावत वन प्रभाग,

बाराकोट
25-02-019

25/2/19

प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत

उपजिलाधिकारी
लोहाघाट

प्रपत्र–23.1

परियोजना का नामः- **जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, टनकपुर–तवाघाट मोटर मार्ग के किमी0 114 से सिगदा मोटर मार्ग नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।**

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र
ग्राम पंचायत का नाम सिगदा
तहसील बाराकोट जिला–चम्पावत

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चम्पावत के अन्तर्गत **टनकपुर–तवाघाट मोटर मार्ग के किमी 0114 से सिगदा मोटर मार्ग** परियोजना के निर्माण हेतु (3.7015 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.2100 हे0 सिविल सोयम भूमि कुल 3.9115 हे0,) अर्थात दुगुना करने पर कुल 7.820 हे0 वन भूमि का **पी0आई0यू0, पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड लोहाघाट** विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत **सिगदा** द्वारा दिनांक 11-10-2018 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पश्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **सिगदा** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि **प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, टनकपुर–तवाघाट मोटर मार्ग के किमी0 114 से सिगदा मोटर मार्ग** का निर्माण लम्बाई 8.250 किमी0 तक प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/– ग्रा0पं0वि0अ0	च-प्र देवी चन्द्रा देवी ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत सिगदा वि0ख0 बाराकोट (चम्पावत)
ग्राम सचिव ग्रा0पं0 सिगदा वि0ख0 बाराकोट	ह0/– ग्राम प्रधान/सरपंच

Scanned with CamScanner

प्रपत्र– 23.1

दिनांक 11.10.2019 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत सिंगदा

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	राम सिंह सामन्त	Ram Singh
2	भुवन सिंह	भुवन सिंह
3	जगत सिंह	Jagat
4	चंचल सिंह	चंचल सिंह
5	दान सिंह	दान सिंह
6	जोगा सिंह	जोगा सिंह
7	मोहन सिंह	मोहन सिंह
8	प्रकाश सिंह	Prakash
9	भागीरथी देवी	भागीरथी देवी
10	मोहनी देवी	मोहनी देवी
11	मदन सिंह	मदन सिंह
12	दीपक सिंह	Dipak Singh
13	अशोक सिंह	अशोक सिंह
14	गंगा सिंह	गंगा सिंह
15	जगत सिंह	जगत सिंह
16	राजेन्द्र सिंह	[illegible]
17	शंकर सिंह	शंकर सिंह
18	होशियार सिंह	होशियार सिंह

चन्द्रा देवी

चन्द्रा देवी
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत सिंगदा
वि0ख0 लोहाघाट (चम्पावत)

ह0 / ग्राम प्रधान

Scanned with CamScanner